

LOK SABHA SECRETARIAT

APPLICATION FORM FOR GRANT OF ADVANCE FOR PURCHASE OF CONVEYANCE

1. Name of Member (in block letters) : .....
2. State and Constituency : .....
3. Anticipated price of conveyance : .....
4. Amount of advance required  
(Not exceeding Rs. 1,00,000 at the rate of  
11.50% interest per annum) : .....
5. Date of publication of Notification of your  
election as Member of Parliament (Lok Sabha) : .....
6. Number of equal monthly instalments in which  
the advance is desired to be repaid together  
with the interest thereon : .....
- [Not more than sixty equal monthly instalments which should not exceed beyond the tenure of the applicant]*
7. Whether advance for similar purpose was  
obtained previously and if so :—
  - (i) Date of drawal of the advance : .....
  - (ii) the amount of advance and/or interest  
thereon still outstanding, if any : .....
8. Whether the intention is to purchase a new or  
old conveyance : .....
9. Whether any negotiations or preliminary : .....
- enquiries are being made to ensure that delivery  
is taken of the conveyance within one month  
from the date of drawal of the advance, if so,  
attach copy of allotment letter/delivery letter etc.  
or attach particulars of seller, vehicle etc. if it is  
an old conveyance : .....
10. Certified that I have not taken delivery of the conveyance on account of which I apply for the advance and  
has not been paid in full, that I shall complete negotiations for the purchase of, pay finally and take  
possession of the conveyance before the expiry of one month from the date of drawal of the advance and  
that I shall insure it from the date of taking delivery of it and hypothecate the conveyance to the President of  
India as security.

New Delhi;

Dated the.....

.....  
(Signature of Member of Parliament)

I.C. No.....

लोक सभा सचिवालय

वाहन खरीदने के लिए अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. राज्य और निर्वाचन क्षेत्र .....
3. वाहन का प्रत्याशित मूल्य .....
4. अपेक्षित अग्रिम राशि  
(1,00,000 रु. से अधिक नहीं) .....
5. संसद सदस्य (लोक सभा) के रूप में निर्वाचित होने की  
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख .....
6. समान मासिक किस्तों की संख्या जिनमें ब्याज सहित  
अग्रिम राशि की वापस अदायगी की जायेगी .....
- (साठ समान मासिक किस्तों से अधिक नहीं जो आवेदक के सदस्यकाल से अधिक न हो)
7. क्या पहले कभी इसी प्रयोजन हेतु अग्रिम लिया गया था  
और यदि हां, तो :—  
(i) अग्रिम लेने की तारीख .....
- (ii) अग्रिम की राशि और/अथवा उस पर बकाया ब्याज,  
यदि कोई हो .....
8. क्या इरादा नया अथवा पुराना वाहन खरीदने का है .....
9. क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई बातचीत अथवा  
प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है कि वाहन की डिलीवरी  
अग्रिम लेने के एक माह के भीतर प्राप्त हो जायेगी, यदि हां,  
तो आर्बटन पत्र/डिलीवरी पत्र आदि की प्रति संलग्न करें  
अथवा यदि वाहन पुराना है तो विक्रेता, वाहन आदि का  
ब्यौरा संलग्न करें । .....
10. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उस वाहन की डिलीवरी नहीं ली है जिसके लिए अग्रिम हेतु आवेदन किया है और उसकी पूरी कीमत  
अदा नहीं की है और कि अग्रिम लेने की तिथि से एक मास की अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन की खरीद की बातचीत पूरी कर  
लूंगा, अन्तिम अदायगी कर दूंगा तथा उसका कब्जा ले लूंगा और इसका कब्जा लेने की तिथि से ही इसका बीमा करवा लूंगा और  
वाहन को भारत के राष्ट्रपति के नाम प्रतिभूति के रूप में रखूंगा ।

नई दिल्ली;

दिनांक .....

.....  
(संसद सदस्य का हस्ताक्षर)

पहचान पत्र संख्या.....

## UNDERTAKING

- (a) I will purchase the conveyance within a period of one month from the date of drawal of the advance failing which I will refund the advance drawn together with interest thereon for one month.
- (b) In case I do not purchase the conveyance within one month or refund the advance in lumpsum, I will be liable to pay the same from my salary bill.

New Delhi;

Dated .....

.....  
(Signature of Member of Parliament)

Name of the Member.....

Constituency Name and No.....

## वचन-बन्ध

- (क) मैं अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर वाहन खरीद लूंगा और ऐसा न कर पाने की दशा में मैं प्राप्त अग्रिम का उस पर प्रोद्भूत एक मास के ब्याज सहित वापस कर दूंगा ।
- (ख) यदि मैं एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदता अथवा एकमुश्त में अग्रिम वापस नहीं करता तो मैं इसकी अदायगी अपने वेतन-बिल से करने के लिए दायी हूंगा ।

नई दिल्ली;

.....  
(संसद सदस्य का हस्ताक्षर)

दिनांक .....

सदस्य का नाम.....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा संख्या.....